न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 47/2019

1– जेठाराम पुत्र मंगाराम।
2– गोर्वधनराम पुत्र जेठाराम।
3– घासीराम पुत्र जेठाराम।
4– मनफूल पुत्री जेठाराम जाति जाट निवासी छापड़ा तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

..................वादीगण

1– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

.... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:–

1– अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका वादीगण की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 03.06.2019

वाद वादीगण का सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण के बडेर की पुश्तनी भूमि मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 692 रकबा 25 बीघा, खेत ख.नं. 692/990 रकबा 15.12 बीघा, कुल खेताय 2 जिनका कुल रकबा 40.12 बीघा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2073 को कर लिया है। बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार है:–

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क, ख व ग के अनुसार डिक्री सादिर फरामाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सरकार होने के कारण जबाव मांगा गया। जो कि तय समय तक नहीं दिया गया [illegible]लिए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

वादीगण सं. 01 से 04 के बीच सहमति होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये। प्रकरण में वकील वादीगण सं. 01 से 04 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारों में सहमति होने के कारण वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :–

सहायक कलक्टर
[illegible] आयल (नागौ०)

Scanned by CamScanner

1. वादी संख्या 01 जेठाराम हकबंट में मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 692/990 रकबा 15.12 बीघा में से 02.12 बीघा पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार, खेत खसरा नम्बर 692 रकबा 25 बीघा में से 12 बीघा पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 02 गोर्वधनराम के हकबंट में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 692/990 रकबा 15.12 बीघा में से 13 बीघा पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी सं. 03 घासीराम के हकबंट में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 692 रकबा 25 बीघा में से 13 बीघा पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी सं. 04 मनफूल ने न्यायालय में उपस्थित होकर सहमति से स्वयं का हिस्सा आपसी सहमति से भाइयों में बांटने से उनके हिस्से में जमीन नहीं रखी है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned by CamScanner